भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 651

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

अल्पसंख्यकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजनाएँ

651. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त पहलों के तहत तमिलनाडु राज्य में पिछले पाँच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में की गई प्रगति का प्रमुख निष्पादन संकेतक जैसे लाभार्थियों की संख्या, सफलताओं की कहानियाँ, प्रभाव से सम्बन्धित आँकड़े और प्रगति रिपोर्ट सहित कार्य निष्पादन आंकड़ा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के, प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन, तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई मैचिंग राशि, अनुमोदित राशि, जारी की गई राशि तथा वास्तविक व्यय का वर्ष-वार, योजना-वार एवं जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 'सीखो और कमाओ', 'उस्ताद', 'नई रोशनी' और 'नई मंजिल' जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया है और देश भर में इन योजनाओं के अंतर्गत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें तमिलनाडु के 12,000 से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इन योजनाओं और पहलों को अब 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (PM VIKAS) नामक एक एकीकृत योजना में समाहित कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

'हुनर हाट' और 'लोक संवर्धन पर्व' जैसी मंत्रालय की पहलों का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों के बीच उनके उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वर्ष 2015 से अब तक, मंत्रालय द्वारा देश भर में 41 'हुनर हाट' और 4 'लोक संवर्धन पर्व' आयोजित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), जो मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है, तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में स्व-रोजगार आय सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (TAMCO) द्वारा वितरित रियायती ऋण और शामिल किए गए लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**TAMCO द्वारा वितरित रियायती ऋण [राशि करोड़ रुपये में]**	**लाभार्थियों की संख्या**
2020-21	18.00	6910
2021-22	49.13	6034
2022-23	55.25	8785
2023-24	50.82	10201
2024-25	64.38	19167
2025-26	वितरित किया जाना है	
कुल	**237.58**	**51,097**

इसके अलावा, एनएमडीएफसी, तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में अपनी योजनाओं का प्रभाव अध्ययन स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों की सहायता से नियमित रूप से करता है। हालिया प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत:

1. महिला ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या वर्ष 2018-19 में 31.9% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 43.7% हो गई;
2. औसत आय में 15% की वृद्धि हुई; 45% ने बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा बचाया;
3. 41.2% ने शिक्षा, सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार की रिपोर्ट दी;
4. 86.4% ने ऋण प्रक्रिया को सरल या संतोषजनक पाया।

सूक्ष्म वित्त ऋण योजना के अंतर्गत:

1. 67% ने औसत आय में 15.5% की वृद्धि पाई;

2. 57% ने बचत की रिपोर्ट दी;
3. 35.3% ने शिक्षा, सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार देखा;
4. 96% ने आवेदन प्रक्रिया को सरल पाया।

शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत:

1. महिलाओं को अधिक ऋण दिए गए;
2. 82% ऋण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थे;
3. ऋण मुख्यतः स्नातक डिग्री के लिए लिए गए, जिनमें से 79% स्नातकों को रोजगार मिला।

(ग) पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएमडीएफसी में इक्विटी अंशदान और एनएमडीएफसी द्वारा अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से वितरित रियायती ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित/जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**एनएमडीएफसी में इक्विटी योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित/जारी धनराशि [राशि - करोड़ रुपये में]**	**एनएमडीएफसी द्वारा स्वीकृत, जारी, वितरित और उपयोग किया गया रियायती ऋण [राशि - करोड़ रुपये में]**
2020-21	110.00	650.41
2021-22	100.00	700.00
2022-23	159.00	881.70
2023-24	61.00	765.45
2024-25	शून्य	860.44
2025-26 (30.6.25 तक)	शून्य	48.40

एनएमडीएफसी की योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। एनएमडीएफसी ने अपनी राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (SCA) को एनएमडीएफसी द्वारा जारी रियायती ऋणों की स्वीकृति, वितरण और वसूली के लिए संबंधित राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (SCA) को अधिकार सौंपे हैं। इस प्रकार, एनएमडीएफसी द्वारा केवल राज्यवार जारी की गई धनराशि का ही देख-रेख किया जाता है।

*****